

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में,
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग**

तृतीय तल , इंडियन आयल भवन,

01, श्री अरबिंदो मार्ग, युसूफ सराई, नई दिल्ली-110016

फा. सं. 110012 /08 /2020/सी. ए. क्यू एम. - आर. डी. / 429 -430

दिनांक: 11.06.2021

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए , मार्ग स्वामित्व /रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा "धूल नियंत्रण प्रबंधन प्रकोष्ठ " की स्थापना ।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अध्यादेश 2021, 13 अप्रैल 2021 को प्रकाशित किया गया है (एतद्वारा अध्यादेश के तौर पर संदर्भित);

जबकि, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार ने अध्यादेश की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (एतदपश्चात आयोग के रूप में संदर्भित) का गठन किया गया है ।

जबकि अध्यादेश 2021 की धारा 30 में प्रावधान किया गया है कि पहले अध्यादेश 2020 के तहत किया गया या की गई कार्रवाई को अध्यादेश 2021 के समरूप किया गया समझा जायेगा □

जबकि, अध्यादेश की धारा 12 (I) के तहत आयोग को शक्तियाँ दी गई हैं, कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षण एवं सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करे, निर्देश आदि जारी करें, जैसा कि वह आवश्यक या उचित समझे □

जबकि, अध्यादेश की धारा 12 (2) (XI) आयोग को शक्ति देती है, कि वह लिखित में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को निर्देश दे और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी निर्देश का अनुपालन करने के लिए बाध्य है □

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की बड़ी चुनौती को हल करने और कम करने के लिए मार्ग की धूल एक उल्लेखनीय श्रोत है और पी. एम. 10 एवं पी. एम. 2.5 पार्टिकुलेट के उत्पादन और रिलीज में योगदान देती है ।

जबकि, मार्ग की धूल का वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य के जोखिम से जुड़े हुए मामलों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

जबकि, मार्ग धूल न्यूनीकरण उपायों का अनुपालन न करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ मार्ग निर्माण/रखरखाव कार्य और कच्ची सड़कों/रास्तों से धूल हवा में फैल जाती है और वाहन व औद्योगिक प्रदूषक कणों से मिश्रित होकर वायु को और अधिक प्रदूषित बना देती है ।

जबकि, आयोग का मत है कि मार्ग निर्माण, दुबारा बनाने, मरम्मत और कच्ची सड़कों आदि से उत्पन्न होनेवाली धूल की समस्या को हल करने के लिए अन्य बातों के साथ विभिन्न धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन के अलावा ऐसी गतिविधियों को नियमित रूप से निगरानी और निरीक्षण की आवश्यकता है ।

जबकि, विभिन्न धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी एवं कार्यान्वयन में मार्ग स्वामित्व /रखरखाव और मार्ग निर्माण एजेंसियों को एक बड़ी भूमिका निभानी है ।

जबकि, आयोग ने मार्ग की धूल की समस्या की समीक्षा आयोग और उपसमितियों की बैठकों में की है ।

जबकि, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों को 12 फरवरी, 2021 को एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि वह मार्गों से धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सुझाए गए उपायों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यान्वित करें ।

जबकि, दिल्ली में नगरपालिका निगम और नई दिल्ली नगर परिषद् की दिल्ली में मार्ग बनाने और रखरखाव करने में निर्णायक भूमिका है ।

और अब इसलिए "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2021 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आयोग निम्नलिखित निर्देश जारी करता है: -

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी मार्ग स्वामित्व/रखरखाव/मार्ग निर्माण केंद्रीय /राज्य सरकारों की एजेंसियों / जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा "धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठों" की स्थापना की जानी चाहिए जिसका उद्देश्य उनके द्वारा रखरखाव / स्वामित्व किए गए मार्ग और मार्ग से सम्बंधित कार्यान्वित / लागू की गई परियोजनाओं के प्रभावी निरीक्षण और कार्यान्वयन करने का अधिदेश है ।

2. इस प्रकार स्थापित "धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ" नियमित रूप से प्रभावी ढंग से लागू किये गए उपायों की निगरानी करेंगे और उनके द्वारा चलाई गई परियोजनाओं की मासिक आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मार्गों में धूल प्रदूषण को कम करने / रोकने के उपायों को लागू करने के लिए एक निर्देशात्मक (लेकिन विस्तृत नहीं) निम्नवत सूची तैयार की गयी है जिसका अनुपालन सभी मार्ग स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियाँ करेंगी जिसकी निगरानी "धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ निम्नवत" करेंगे:

-

(i) मार्ग साफ़ करने की मशीन का अधिकतम उपयोग ।

(ii) निर्दिष्ट स्थान/ भराव क्षेत्र में एकत्रित धूल का वैज्ञानिक तरीके से निपटान ।

(iii) विशेषतः मशीन से झाड़ू लगाने के बाद धूल को दबाने के लिए मार्ग/ आर. ओ. डब्लू पर पानी का छिड़काव ।

(iv) झाड़ू लगाने एवं पानी के छिड़काव में मशीन की क्षमता को बढ़ाया जाए ।

(v) मार्ग का उचित ढंग से निरंतर रखरखाव करना जिससे मार्ग गड्ढा मुक्त रहे ।

(vi) मार्ग की बनावट / मरम्मत इस ढंग से की जाए कि मशीन द्वारा झाड़ू लगाया जा सके ।

(vii) मार्ग के किनारे पक्की फर्श न होने पर उसे पक्की फर्श में विकसित किया जाए या हरित क्षेत्र में बदला जाए ।

(viii) केंद्रीय किनारों का कायाकल्प (हरितीकरण)

(ix) विशेषतः औद्योगिक क्षेत्र में बिटुमिनस मार्ग की जगह सीमेंट से बने मार्ग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(x) सड़क पर धूल के हाट स्पोट की पहचान और विशिष्ट लक्ष्य के साथ सड़क धूल नियंत्रण उपायों को लागू करना ।

4. सी. पी. सी. बी. , राज्य पी. सी. बी. /डी. पी. सी. सी. और अन्य सम्बंधित एजेन्सियाँ धूल कम करने/नियंत्रित करने के उपायों की निगरानी एवं प्रवर्तन जारी रखेंगी।

5. 15 जुलाई 2021 तक आयोग को “धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ” स्थापित करने की पुष्टि की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

6. इन निर्देशों में दिए गए अन्य बिंदुओं पर की गई अनुपालन रिपोर्ट हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और जी एन सी टी डी द्वारा समय-समय पर द्वैमासिक रिपोर्ट के भाग के रूप में भेजी जाएगी ।

यह दोहराया जाता है कि अध्यादेश के प्रावधानों के तहत, किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है तो वह व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी उन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है ।

हस्ता०

(अरविन्द कुमार नौटियाल)

सदस्य सचिव

दूरभाष संख्या :-011-26081974

सेवा में

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि:

1. प्रधान सचिव, पर्यावरण बिभाग, राजस्थान सरकार ।
2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(अरविन्द कुमार नौटियाल)